न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00171 (57/2018) 275 एलआरएक्ट

सीमादेवी पत्नी श्री मनीराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2010 द्वारा उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्र. सं. 83/2017

श्री संजय चांडक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक:–24.06.2019

1. तहसीलदार (रजास्व) पीलीबंगा ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि ग्राम बड़ोपल बारानी के ख. नं. 983 रकबा 5.060 है0 वर्तमान में सीमा देवी पत्नी मनीराम जाति जाट साकिन बड़ोपल के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं यह रकबा बिना किसी जांच के अप्रार्थी ने आवंटित करवाया है। रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस.बी. रिट नं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट से प्रतिबंधित है। उक्त भूमि जो घग्घर के जल भराव की भूमि है जो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों से प्रतिबंधित है। अतः आवंटन आदेश को निरस्त किया जावे। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के पति को 1983 में तत्कालीन तहसीलदार सूरतगढ के द्वारा आवंटित भूमि थी। आवंटन दिनांक से अपीलाण्ट के पति एवं उसका कब्जा काश्त है। रकबा टीसी पर आवंटित हुआ था जिसका समय समय पर नवीनीकरण होता आया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (रा0न0या0 क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 22.06.2000 को कीमतन पुख्ता आवंटित की गई थी। जिसकी समस्त किश्तें जमा करवा दी गई हैं। विधिवत जांच के उपरान्त उक्त रकबे की सनद प्रदान की गई है। आवंटन से पूर्व तहसीलदार द्वारा जांच की गई थी। अधीनस्थ न्यायलय की पत्रावली में दिनांक 04.12.2017 को टी0डी0आर0 से वादाधीन रकबे की बाबत विधिवत रिपोर्ट न ली जाकर दि0 04.12.2017 को पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई तथा आगामी पेशी 23.02.2018 निश्चित की गई। मातहत अदालत ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अर्थात संबंधित पक्षकारों के पत्रावली पर साक्ष्य लिए बिना ही तथा अंतिम बहस सुने बिना ही दिनांक 13.02.2018 को आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है। दिनांक 23.02.2018 से पूर्व ही अपीलाण्टा को सूचित किये बिना उसके पीठ पिछे दिनांक 13.02.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो मनमाने ढंग से पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया हुआ आदेश है। 35 वर्ष पूर्व के आवंटन को केवल संदेह के आधार पर खारिज किया गया है। उपनिवेशन अधिनियम 1954 के आवंटन नियम 1975 में अपील प्रस्तुत करने के स्पष्ट प्रावधान है किन्तु आवंटन आदेश के विरूद्ध तहसीलदार ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। जबकि रकबा अपीलाण्ट को पुख्ता आवंटित हो चुका है। खसरा नं. 983 में कुल कितना रकबा है इसमें किसी अन्य को भी भूमि आवंटित हुई या नहीं इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, खिलाफ न्याय के सिद्धान्तों के पारित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत रकबा घग्घर के जल भराव की भूमि है जो राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में भी प्रतिबंधित भूमि है। यह रकबा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर एस. बी.रिट नं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में भी प्रतिबंधित है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने प्रश्नगत रकबे को घग्घर के जल भराव क्षेत्र की भूमि मानते हुए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों में प्रतिबंधित मानते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी. रिट नं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट द्वारा प्रतिबंधित मानते हुए प्रश्नगत आवंटन को निरस्त करने का अनुतोष मांगा है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्गनत रकबा उसको पहले टीसी पर आवंटित हुआ था उसके बाद तहसीलदार की रिपोर्ट पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पुख्ता आवंटित किया गया था। रकबा घग्घर क्षेत्र जल भराव क्षेत्र में नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रालवी में जमाबंदी (खतौनी) शामिल है जिसमे प्रश्नगत खसरा नं. 983 घग्घर फल्ड विभाग के नाम दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की रिट संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट के द्वारा भी यह रकबा प्रतिबंधित है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों मे भी में भी प्रतिबंधित है। अपीलाण्ट का यह भी कथन है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रालवी में अपीलाण्ट का जवाब प्रार्थना–पत्र शामिल है। जिससे स्पष्ट है कि उसे सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। फिर भी अपीलाण्ट के पास अपनी सुनवाई का अपील में अवसर था यदि वह कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहती तो कर सकती थी लेकिन अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एव अपील में भी ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो कि प्रश्नगत रकबा घग्घर क्षेत्र से प्रभावित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।
7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2001 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24/6/16

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official